पत्रांक 1557/तीस(2)/07

प्रेषक,

एस0के0दास,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पेयजल अनुभाग–2

देहरादून : 06 अगस्त 2007

विषय : **पेयजल श्रोतों के संरक्षण एवं सम्वर्द्धन हेतु उत्तराखण्ड राज्य में जल सम्वर्द्धन मिशन का गठन किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया मेरे पूर्व प्रेषित पत्र सं 759/XXIX-(2)/2007 दिनांक 19 जून, 2007 का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जिसमें पेयजल श्रोतों के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु उत्तराखण्ड राज्य के लिए संवर्द्धन मिशन का और तत्संबंधी समितियों के गठन एवं कार्यवाही की अपेक्षा का विवरण दिया गया था। उक्त पत्र में 15 जुलाई 2007 तक बैठकों की श्रृखला का कार्यक्रम निर्धारित किया गया था और कार्यक्रम सम्पन्न करने के पश्चात अनुश्रवण की व्यवस्था भी की गई थी। यह अपेक्षा की जाती है कि इस कार्य अवधि में आपके द्वारा प्रत्येक विकासखण्ड में और जनपद स्तर पर गठित समिति की बैठकें आयोजित करते हुए ऐसे पेयजल श्रोत जिनके श्राव में कमी आयी है के सुदृढीकरण हेतु कार्य की रूपरेखा तैयार कर ली होगी। आपके संज्ञान के लिए पुनः अवगत कराया जाता है कि 11 पर्वतीय जनपदों की 263 श्रोतों की सूची पेयजल विभाग/एन.आई.सी. की वैब साईट http://gov.ua.nic.in/waterConservation पर प्रदर्शित है वर्षाकाल के लिए प्रत्येक विकासखण्ड के दो जलश्रोत चयनित कर जल श्रोत का संरक्षण, संवर्धन, स्वजलधारा, ग्राम्या, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कार्यक्रम अथवा जो भी अन्य संसाधन जनपद स्तर पर उपलब्ध हो, उनसे श्रोतों के पुर्नजीवीकरण, सुदृढीकरण, संरक्षण हेतु परियोजना निर्मित कर कियान्वयन कार्यवाही सुनिश्चित करें। यह भी अपेक्षा है कि श्रोतवार बनाई गई कार्य रूपरेखा उक्त वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान को ईमेल पर दिनांक 1.08.2007, 14.08.2007 एवं 28.08.2007 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। मुख्य महाप्रबन्धक का ईमेल निम्नानुसार है :– cgm-js-ua@nic.in

जहां पेयजल श्रोत आरक्षित वन क्षेत्र में स्थित हैं वहां कार्ययोजना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी की देखरेख में तैयार की जाय और क्रियान्वयन के लिए वन विभाग को सौंपी जाय।

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

वर्षाकाल के दौरान वनीकरण का कार्य निर्धारित मानक अनुसार अभियान के रूप में सचालित करने हेतु अपना नेतृत्व प्रदान करें और निर्धारित समयावधि पर रिपोर्ट प्रेषित करना सुनिश्चित करें.

सभी विभागों से वांछित कार्यवाही सम्पन्न करवाते हुए निर्धारित तिथि अर्थात 1 अगस्त, 14 अगस्त एवं 28 अगस्त, 2007 को ईमेल के माध्यम से निर्धारित रूपपत्र पर सूचना का प्रेषण सुनिश्चित करें। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रत्येक विभाग निर्धारित भूमिका का निर्वहन समयानुसार कर रहा है। इस कार्य को शासन में शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की गई है। अतः इसमें किसी प्रकार का विलम्ब अथवा कोताही अक्षम्य होगी।

भवदीय

(एस०के० दास)
मुख्य सचिव

संलग्नक : निर्धारित रूपपत्र

संख्या 1557/उत्तरांचल/(2)/07 /तद्दिनांक
प्रतिलिपि :–

1 अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2 प्रमुख सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3 सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4 प्रमुख सचिव/सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
5 सचिव ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
6 सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7 सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8 सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9 सचिव, जलागम एवं लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10 सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
11 सचिव, उद्यान, उत्तराखण्ड शासन।
12 सचिव, मत्स्य एव कृषि विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
13 सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
14 केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड।
15 आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
16 प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि आरक्षित वन क्षेत्र में स्थित चाल/खालों के पुनर्जीवन का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता पर वन विभाग के माध्यम से कराया जाए व उपरोक्तानुसार सहयोग दिया जाये।
17 मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम विकास परियोजना, इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि चाल/खालों के पुनर्जीवन का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता पर जलागम परियोजना निदेशालय के माध्यम से कराया जाए।

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

18 निदेशक स्वजल परियोजना को इस आशय के साथ प्रेषित कि उनके द्वारा सैक्टर प्रोग्राम के अंतर्गत जो भी कार्य कराये जा रहे हों, उनके अंतर्गत उपरोक्तानुसार कार्य को अनिवार्य रूप से किया जाए।

19 मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान को इस आशय से प्रेषित की जिला प्लान के अन्तर्गत भी इन सभी कार्यों को सम्मिलित किया जाए।

20 प्रबन्धक निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि जिला प्लान के अन्तर्गत भी इन सभी कार्यों को सम्मिलित किया जाए।

21 समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

22 विभागाध्यक्ष एवं मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।

23 विभागाध्यक्ष एवं मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।

24 निदेशक, उद्यान विभाग, उत्तराखण्ड।

25 प्रतिनिधि वाडिया अनुसंधान संस्थान, देहरादून, उत्तराखण्ड।

26 प्रतिनिधि केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तराखण्ड।

27 प्रतिनिधि, कुमायूँ विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।

28 प्रतिनिधि, गढ़वाल विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।

29 निदेशक, केन्द्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की।

30 समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तराखण्ड।

31 निदेशक, विद्यालयी शिक्षा।

32 सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।

आज्ञा से,

(डा0 रणबीर सिंह)
सचिव

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

जल संरक्षण एवं संवर्द्धन

1.8.07, 14.8.07, 28.8.07 को ई–मेल द्वारा प्रेषित की जाने वाली सूचना का प्रारूप

जनपद :–

क्र. सं.	वि0 ख0	श्रोत का नाम / नं0	कैचमेंट / गधेरा जहां श्रोत अवस्थित है	पेयजल योजना से लाभान्वित			सेन्सेस कोड नम्बर	कार्ययोजना बनाने वाले विभाग का नाम	कार्यों का विवरण,सूची दी जाए, जिसमें करना हो.	परियोजना की लागत	निर्धारित तिथि तक की गई कार्यवाही का भौतिक एवं वित्तीय विवरण	अन्य विवरण
				ग्राम का नाम	तोक का नाम	जनसंख्या						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com